कोयले का आयात

2946. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर :
श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गर्मियों के दौरान बिजली की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए अधिकाधिक विद्युत उत्पादन हेतु ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई में वृद्धि के लिए आस्ट्रेलिया मे 10 मिलियन टन कोयला आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस आयात में कितनी विदेशी मुद्रा के रूप में पूंजी परिव्यय शामिल है;

(ग) क्या ऐसे आयात की आर्थिक, व्यवहारिकता पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) भारत को अपनी कोयला खानों से ही कोयला नही लेने का क्या कारण है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) कोयले की घरेलू कमी को पूरा करने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों हेतु उच्च ऊष्मोत्पादकता वाले कोयले का आयात करने सम्बन्धी प्रस्ताव, सभी सुसंगत दृष्टिकोणों से जांच की प्रारम्भिक अवस्था में है और अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

12.05 म० प०

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री वक्तव्य देंगे।

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद उन सबके मानस को उद्वेलित करता आ रहा है जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों पर आधारित शासन प्रणाली में विश्वास रखते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर में तेजी से घटनाएं घटित हुई हैं। हाल के घटनाक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच का 15 जुलाई का आदेश एक विभाजक था। उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में पक्षों द्वारा उस 2.77 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने या जारी रखने पर रोक लगाई जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया था। कोर्ट ने यह निदेश भी दिया कि यदि उस भूमि पर कोई निर्माण करना आवश्यक हो तो कोर्ट की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

2. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार व राष्ट्रीय एकता परिषद को बार-बार यह विश्वास दिलाया कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करवाएंगे, फिर भी राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में निर्माण कार्य जारी रहा।

3. उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न होने से लोगों में आशंका उत्पन्न हुई। यह मामला एक रिट याचिका के जरिए उच्चतम न्यायालय में विचार के लिए पेश हुआ। 22 जुलाई, 1992 को याचिका पर सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने अधिग्रहीत भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य को स्थगित करने को कहा।

4. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23 जुलाई, 1992 को उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए एक और हलफनामे में राज्य सरकार ने बिना शर्त उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने का वचन दिया। हलफनामे में यह भी कहा गया कि 22 जुलाई, 1992 को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों ने राज्य सरकार और धार्मिक नेताओं के बीच चल रहे विचार विमर्श को एक नया आयाम दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है कि सम्बन्धित सभी पक्षों में समझौता हो जाए ताकि न्यायालय के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। हलफनामे में अन्य बातों के साथ-साथ मेरे द्वारा धार्मिक ग्रुपों के नेताओं को 23 जुलाई, 1992 को विचार-विमर्श के लिए दिए गए निमंत्रण का जिक्र भी किया गया।

5. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए निवेदन को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई सोमवार, 27 जुलाई, 1992 तक स्थगित कर दी। उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि इस समस्या का हल खोजना राष्ट्र के व्यापक हित में है।

6. मुझे विश्वास है कि सही सोच वाले सभी लोग इस समस्या का कोई मैत्रीपूर्ण हल ढूंढ़ने की केन्द्रीय सरकार की चिन्ता में उसका साथ देंगे। केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि पहले मैत्रीपूर्ण समाधान खोजने के सभी अवसरों का सच्चे मन से पता लगाया जाना चाहिए। अतः हमारा प्रयास रहा है कि स्थिति को शांत बनाया जाए, विवाद की स्थिति से बचा जाए, और विभिन्न सम्बन्धित पक्षों के बीच वैचारिक सामजस्य लाई जाए। ऐसा करते हुए हम न्यायिक प्रणाली की गरिमा और कानून के शासन के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने के प्रति अत्यधिक सजग रहे हैं। इसी आधार पर ही हमने उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य सभी सम्बन्धित पक्षों से आग्रह किया कि वे सच्ची भावना से न्यायालय के निदेशों का पालन करें और ऐसा कुछ भी न करें जिससे संविधान के मूलभूत सिद्धांत कमजोर पड़ें।

7. जैसा कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था, हम इस मसले की बातचीत के जरिए कोई ऐसा हल ढूंढ़ निकालने के प्रति वचनबद्ध हैं जिससे दोनों समुदायों की भावनाओं का पूरा-पूरा सम्मान हो। यदि ऐसा कोई हल न निकल सके तो सभी पक्षों को न्यायालय के आदेश तथा उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस मन्दिर निर्माण के पक्ष में है, लेकिन मस्जिद को गिराया नहीं जाना चाहिए।

8. यह सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन हो तथा अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य बंद हो। तथापि, स्थिति को इतना गम्भीर होने दिया गया कि राज्य सरकार ने उसे ठीक करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा वास्तव में यह अनुरोध किया गया है कि या तो गृह मन्त्री या मैं निर्माण कार्य को रोकने के लिए सन्तों तथा महन्तों को मनाए। अयोध्या में उत्पन्न हुई नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने 23 जुलाई, 1992 को धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक की। विचार-विमर्श के दौरान मैंने

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति की ओर प्रतिनिधि मण्डल का ध्यान आकर्षित किया। मैंने प्रतिनिधिमण्डल को यह भी बताया कि निर्माण-कार्य रोक दिए जाने के बाद ही मैं बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर सकूंगा। अन्त में मैंने धार्मिक नेताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि निर्माण कार्य रोक दिया जाए ताकि उसके बाद समयबद्ध तरीके से राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद, आदि का हल ढूंढने के प्रयास शुरू किए जा सकें। मैंने उन्हें यह भी कहा कि एक बार कार्य रोक दिया जाए तो मैं पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को, जो अधूरे ही रह गए थे, फिर से चालू करूंगा और इस दिशा में अपने प्रारंभिक प्रयासों को आगे बढ़ाऊंगा। इस सबका प्रयोजन बातचीत के जरिये मैत्रीपूर्ण हल निकालना है। यदि जरूरी हुआ तो विभिन्न न्यायालयों मे इस विषय पर लम्बित मामलों को एक साथ मिलाकर उन पर एक ही न्यायिक प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है जिसके फैसले को सभी पक्षों को मानना होगा, इस सबके लिए सरकार के स्तर पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी और न्यायालयों के विचारार्थ उपयुक्त निवेदन प्रस्तुत किए जाने होंगे। मैंने अपना विश्वास बताया कि सरकार के स्तर पर इस काम को तेज किया जा सकता है और इसे 4 महीने के समय में पूरा किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण पर मुझे सहमति प्राप्त हुई।

9. बताया गया है कि राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर मे अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य 26 जुलाई से रुक गया है। मुझे आशा है कि इससे समस्या का कोई स्वीकार्य हल ढूंढ निकालने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों और जनता के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वे धार्मिक सहिष्णुता के परम्परागत मूल्यों को सुदृढ़ बनाने और अमनशांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने में मदद करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या सभा को इस वक्तव्य पर चर्चा करने अथवा स्पष्टीकरण मांगने का कभी कोई अवसर प्रदान किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि यदि इस सभा के सदस्यों की ऐसी इच्छा है तो आप लोग कल 12 बजे इस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : चर्चा नहीं बल्कि स्पष्टीकरण मांगने की इच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कल 12 बजे स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय ··(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी हम इसके बिना भी अपना काम चला सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, नोएडा में पर्यटन विभाग का जो डिप्लोमा इंस्टीच्यूट स्थापित है, उसको ग्वालियर ले जाया जा रहा है। हमारे संसदीय कार्य मन्त्री ने आश्वासन दिया